भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 507] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 8, 1982/कार्तिक 17, 1904
No. 507] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 8, 1982/KARTIKA 17, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1982

का० आ० 784 (अ):—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री ए० के० बन्द्योपाध्याय, अपर सचिव, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), को श्री एम० वी० एन० राव के स्थान पर प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

2. यह अधिसूचना 3 नवम्बर, 1982 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या 11/82-फा० सं० 191/16/82 स्व० नि० 2]

वे० भ० ईश्वरन, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 1982

S O. 784(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby appoints Shri A. K. Bandyopadhyay, Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), as Administrator, vice Shri M V N. Rao.

2. This notification shall be deemed to have come into force on 3rd November, 1982.

[No. 11/82-F; No. 131/16/82-GC.II]

V B ESWARAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982